सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-24

निष्काम सेवा

निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

अधिप्रमाणित

मंत्री,
जनजाति क्षेत्रीय विकास
एवं गृह रक्षा विभाग

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-24

सत्यमेव जयते

निष्काम सेवा

निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

	भाग–1 विभागीय सार–संक्षेप	पृष्ठ संख्या
1.1	भूमिका	1
1.2	गृह रक्षा की शाखाएं	1–2
1.3	नियंत्रण	2
	भाग–2. निदेशालय का विवरण	
2.1	गृह रक्षा, निदेशालय	3–4
2.2	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	5
	भाग–3. विभागीय कार्यप्रणाली	
3.1	गृह रक्षा के मुख्य कृत्य	6
3.2	गृह रक्षा की सीमा इकाई	6–7
3.3	गृह रक्षा की शहरी इकाई	8
3.4	शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	9
3.5	सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	10
3.6	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम	11
3.7	पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता	11
3.8	वार्षिक योजना	12
3.9	प्रशस्ति पत्र	12
3.10	विभागीय जांच एवं निलम्बन	13
3.11	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग	13–14

	भाग–4. बजट प्रावधान	
4.1	शहरी गृह रक्षा बजट मद	15
4.2	सीमा गृह रक्षा बजट मद	16
4.3	पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा	16
4.4	पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा	17
4.5	वृहद् निर्माण कार्य	17
4.6	अनुरक्षण एवं मरम्मत	17
भाग–5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ		18
	परिशिष्ठ	
	(अ) विभाग का संगठानात्मक स्वरूप	19
	(ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण	20

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–24

भाग –1 विभागीय सार– संक्षेप

1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्व के दौरान ब्रिटेन में ''होमगार्डस'' नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्व के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए ''**होमगार्ड**'' संगठन स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी–अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम ''**होमगार्डस**'' के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अध्यादेश 1962 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 61 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवको का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को ''**गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा**'' दिवस मनाया जाता है।

1.2 गृह रक्षा की दो शाखायें हैं :–

1. सीमा गृह रक्षा 2. शहरी गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के समस्त जिलों में है। राज्य के सभी जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1420 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्डस रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :–

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां (समस्त जिला स्तर पर)।

1.3 <u>नियन्त्रण</u> :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाईयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत है एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां राज्य के समस्त जिलो में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग – 2 निदेशालय का विवरण

2.1 गृह रक्षा निदेशालय

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय विद्याधर नगर जयपुर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याधर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये थे, तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण होकर गृह रक्षा निदेशालय नवीन भवन में संचालित है। स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा	1	1	–	–
2.	अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा	1	0	1	–
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा	1	1	–	–
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा	2	2	–	–
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	2	–	–
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	1	–	–
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	1	–	–
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	2	–	–
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	–	–
2.	लेखाधिकारी	1	0	1	–
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	–	–

विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	1	1	—	—
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मोरर	1	—	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित।
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	—	1	—
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	—	—
5.	सूचना सहायक	2	—	2	—
6.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	—	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित
7.	प्लाटून कमाण्डर	1	1	—	—
8.	मुख्य आरक्षी	3	0	3	—
9.	मुख्य आरक्षी आर्मोरर	2	1	1	1 मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित
10.	आरक्षी	14	14	0	—
11.	मशीनमैन	1	—	1	—
12.	वाहन चालक	1	1	0	—
13.	वार्ड ब्वाय	1	—	1	—
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	1	2	—	1 लेखाधिकारी पद के विरूद्व पदस्थापित
2.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	2	1	1	—
3.	कनिष्ठ लेखाकार	2	0	2	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1	निजी सचिव	1	—	1	—
2.	निजी सहायक	2	—	2	—
3.	प्रशासनिक अधिकारी	3	2	1	—
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0	—
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	6	—	—
6.	वरिष्ठ सहायक	8	8	—	—
7.	कनिष्ठ सहायक	14	14	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	3	3	
2.	स्वीपर	1	1	—	
	योग	**92**	**69**	**23**	—

2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है । इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	1	–	–
2.	उप समादेष्टा	1	1	–	–
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रेक्टर	1	–	1	–
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	–	1	–
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	–	–
4.	प्लाटून कमाण्डर	3	2	1	–
5.	मुख्य आरक्षी	6	2	4	–
6.	आरक्षी	13	10	03	–
7.	बिगुलर	2	2	0	–
8.	ड्रम मैन	2	2	0	–
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	1	0	–
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	1	–	1	–
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	संस्थापन अधिकारी	1	1	0	
2.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	
4.	शीघ्र लिपिक(स्टेनो)	1	1	–	–
5.	वरिष्ठ सहायक	1	1	–	–
6.	कनिष्ठ सहायक	2	2	–	–
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :				
1.	चौकीदार	2	1	1	–
2.	कुक	2	2	–	–
3.	कारपेन्टर	1	1	–	–
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1	–
	योग	**47**	**33**	**14**	–

भाग – 3 विभागीय कार्यप्रणाली

गृह रक्षा संगठन :

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :–

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है, जिसकी समय–समय पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागो जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

3.2 सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियॉं)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक–एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियॉं स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा

आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियॉ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1	गण समादेष्टा	4	1	3	–
2	उप गण समादेष्टा	4	1	3	–
अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	28	21	7	–
2	प्लाटून कमाण्डर	76	25	51	–
3	प्लाटून कमाण्डर आर्मोरर	4	–	4	–
4	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	–
5	मुख्य आरक्षी	24	14	10	–
6	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	–	3	–
7	मुख्य आरक्षी आर्मोरर	4	–	4	–
8	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	35	11	24	–
9	आरक्षी	103	10	93	–
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	4	3	1	–
मंत्रालयिक सेवा :					
1	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3	–
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	–
3	वरिष्ठ सहायक	4	3	1	–
4	कनिष्ठ सहायक	16	15	1	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1	चौकीदार	21	6	15	–
2	स्वीपर	27	10	17	–
	योग :	**369**	**125**	**244**	

3.3 शहरी गृह रक्षा (255 कम्पनियॉं) :–

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियॉं सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलो में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाईयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :–

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉं	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	7	4	3	–
2	उप समादेष्टा	26	22	4	–
अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	24	24	0	–
2	प्लाटून कमाण्डर	91	44	47	–
3	मुख्य आरक्षी	100	20	80	–
4	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	10	10	0	–
5	आरक्षी	99	66	33	–
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	12	5	7	–
2	कनिष्ठ लेखाकार	2	1	1	–
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1	कम्पाउण्डर	1	0	1	–
मंत्रालयिक सेवा :					
1	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	2	3	–
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	14	0	–
3	वरिष्ठ सहायक	25	23	2	–
4	कनिष्ठ सहायक	38	34	4	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	10	9	–
2	चौकीदार	15	14	1	–
3	कुक	7	5	2	–
4	स्वीपर	6	2	4	–
	योग :	**501**	**300**	**201**	–

- वर्तमान में विभाग में 1009 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 526 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 483 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2023 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 01 अधिकारी/कर्मचारी के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा कर्मचारी पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी गृह रक्षा के कुल 30,714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में नफरी का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

नियोजन :

वर्ष 2023–24 में माह अप्रेल, 2023 से दिसम्बर 2023 तक शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :–

3.4 शहरी गृह रक्षा

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1.	रात्रिगश्त / रात्रिकर्फ्यू ड्यूटी	2090	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
		400	26.07.2023 से 31.12.2023 तक
2.	शासन सचिवालय, ड्यूटी	413	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
3.	विधान सभा सुरक्षा, ड्यूटी	12	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
4.	राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023	18000	21.11.2023 से 26.11.2023 तक
5.	बोर्ड परीक्षा 2023	1342	04.03.2023 से परीक्षा समाप्ति तक
6.	बोर्ड पूरक परीक्षा 2023	43	03.08.2023 से अंतिम बण्डल वितरण तक
7.	राजस्थान आवासन मण्डल सीधी भर्ती परीक्षा 2023	122	08.09.2023 से 11.09.2023 तक
8.	मेले / पर्वों के दौरान ड्यूटी	65,610 मैनडेज	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
9.	पुलिस विभाग से प्राप्त कानून व्यवस्था ड्यूटी	17,870 मैनडेज	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
10.	विधानसभा चुनाव एवं आगामी त्योंहारो में कानून–व्यवस्था ड्यूटी में नियोजन	लगभग 03.00 लाख मैनडेज	20.10.2023 से 31.12.2023 तक
11.	आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्ध	128	01.04.2023 से 31.12.2023 तक

3.5 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियॉ का विवरण :–

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर	22	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
2	सुपर थर्मल पॉवर प्लांट छबड़ा जिला बारां	159	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
3	छबडा सुपर क्रिटिकल तापीय विधुत परियोजना मोतीपुरा जिला बांरा	181	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
4	काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़	189	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
5	विधुत विभाग बांसवाडा	12	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
6	केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर	113	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
7	एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाडमेर	117	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
8	वी.एस.लिग्नाईट पॉवर प्राईवेट लिमिटेड गुढा (बीकानेर)	38	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
9	सरिस्का बाघ परियोजना अलवर	131	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
10	रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर	72	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
11	मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	108	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
12	रामगढ़ गैस थर्मल पावर आर जी.टी.वी.पी **(रामगढ़ जैसलमेर)**	33	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
13	गण कम्पनी मुख्यालय	24	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
14	हिल्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड देवीकोट, **जैसलमेर**	42	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
15	खान विभाग	476	01.04.2023 से 31.12.2023 तक
16	कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव 2023	05 कम्पनी	28.04.2023 से 16.05.2023 तक
17	राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023	2000	21.11.2023 से 26.11.2023 तक

3.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रम :

(अ) स्वयं सेवको के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

क्र. सं	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1	नेतृत्व क्षमता कोर्स (लीडरशीप कोर्स)	03.07.2023 से 14.07.2023	UHG VOL.	36
2	बैसिक कम्प्यूटर कोर्स	10.07.2023 से 21.07.2023	UHG VOL.	36
3	हथियार का प्रशिक्षण (वैपन कोर्स)	30.10.2023 से 10.11.2023	UHG VOL.	36
4	आपदा प्रबंधन का महत्व एवं प्रक्रिया (सर्च एण्ड़ रेस्क्यू कोर्स)	06.11.2023 से 18.11.2023	UHG VOL.	36
5	ड्रिल कोर्स	29.11.2023 से 09.12.2023	UHG VOL (Female)	36
6	आपदा प्रबंधन का महत्व एवं प्रक्रिया (सर्च एण्ड़ रेस्क्यू कोर्स)	11.12.2023 से 22.12.2023	UHG VOL.	36
7	प्राथमिक चिकित्सा कोर्स (फर्स्ट एड कोर्स)	18.12.2023 से 29.12.2023	UHG VOL.	36

(ब) सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2023–24 :–

क्र.सं	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1	हथियार सैन्य रणनीति कोर्स (वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स)	23.10.2023 से 06.11.2023	BHG VOL.	36
2	मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स	03.07.2023 से 14.07.2023	BHG VOL.	36
3	ड्रिल कोर्स	29.11.2023 से 09.12.2023	BHG VOL.	36

(स) स्थाई स्टाफ हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2023–24 :–

क्र.सं	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1	पी.सी.सी. कोर्स	17.04.2023 से 29.05.2023	CC/PC/HC	26

3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से होम गार्डस के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए पुलिस विभाग को स्वीकृत की 5–10 प्रतिशत राशि गृह रक्षा विभाग को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2023–24 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2023–24 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 255.70 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें विभाग को राशि रूपये 206.80 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

3.8 वार्षिक योजना :–

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याधर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये थे, तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129. 74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण होकर गृह रक्षा निदेशालय नवीन भवन में संचालित है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, झुंझुनू, बीकानेर, धौलपुर एवं जालौर को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र झुंझुनूँ एवं जालौर में कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वित्त वर्ष 2024–25 में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र धौलपुर एवं अलवर कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

3.9 प्रशस्ति पत्र :–

भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा महानिदेशक महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 05.12.2023 को इस विभाग के 02 अधिकारी, 05 कार्मिक व 01 स्वयंसेवक को 61 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस–2023 के अवसर पर महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई है।

61 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस– 2023 के अवसर पर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा 03 अधिकारी 04 कार्मिक 04 स्वयं सेवक व 01 स्वयं सेवक को ड्यूटी के दौरान संघर्ष करते हुये अपने शौर्य एवं कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करने पर मृतक स्वयं सेवक के आश्रित को महानिदेशक एवं महासमादेष्टा प्रशस्ति पत्र एवं प्रशस्ति डिस्क प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 के दौरान 184 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा एवं सीनियर स्टाफ ऑफिसर गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

3.10 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :–

गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र. सं	प्रकरण	01.01.2023 को विचाराधीन प्रकरण	01.01.2023 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण	31.12.2023 को लम्बित प्रकरण
1.	16 सीसीए	20	04	24	02	22
2.	17 सीसीए	03	04	07	05	02
3.	निलम्बन	02	0	02	01	01
योग :		**25**	**8**	**33**	**08**	**25**

3.11 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह–9/2005 दिनांक 31.01.2012 द्वारा महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी'** नियुक्त किया गया है, जिसकी पालना में फरवरी 2012 से विभाग में सिक्यूरिटी अनुभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं	पदनाम	उपलब्ध
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी)	1
2.	अति0 महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	0
3.	महानिरीक्षक, पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।	1
4.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	1
5.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
6.	प्लाटून कमाण्डर	1
7.	वरिष्ठ सहायक	1
8.	कनिष्ठ सहायक	1
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
10	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2
	योग	**10**

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :—

1. राज्य में निजी सुरक्षा का कारोबार करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय—समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2023 तक कुल 3419 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 1857 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम—2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षो में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं	लाइसेन्स का विवरण	वर्ष		
		2021	2022	2023 (दिनांक 31.12.2023 तक)
1	नवीन लाइसेन्स	237	392	362
2	लाइसेन्स नवीनीकरण	41	64	63
	कुल योग :	278	456	425

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम—2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक आवेदन शुल्क राशि 91,25,000/— (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2023–24

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 होमगार्ड (01) नगरीय गृह रक्षा

(राशि लाखो मे)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	2512.50	837.50	3350.00	1745.54	594.39	2339.93
03– यात्रा व्यय	28.50	9.50	38.00	14.68	4.95	19.64
04– चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05– कार्यालय व्यय	198.75	66.25	265.00	31.66	9.99	41.66
08–वृतिक और विशिष्ट सेवायें	4.00	0.00	4.00	1.60	0.00	1.60
09– रेंट और कर/रॉयल्टी	7.50	0.00	7.50	3.49	0.00	3.49
11– विज्ञापन/विक्रय और प्रचार और प्रसार व्यय	3.00	1.00	4.00	0.19	0.06	0.26
12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	30.00	0.00	30.00	6.08	0.00	6.08
18– मशीनरी और साज – सामान औजार एवं संयंत्र	225.00	75.00	300.00	221.13	73.71	294.84
19– विद्युत व्यय एवं जल प्रभार	26.26	8.76	35.02	12.52	4.17	16.69
20– वाहन संधारण	52.50	17.50	70.00	46.12	15.38	61.50
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	1650.00	550.00	2200.00	984.40	328.09	1312.49
32– डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.29	0.00	0.29
36– वाहनों का किराया	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37– वर्दीया तथा अन्य सुविधाएँ	3.75	1.25	5.00	3.74	1.25	4.99
41– संविदा व्यय	43.00	0.00	43.00	32.38	0.00	32.38
42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	3266.00	0.00	3266.00	3482.68	0.00	3482.68
2070–00–107–01–00 योग :–	**8050.79**	**1566.76**	**9617.55**	**6586.51**	**1032.00**	**7618.51**

4.2 सीमा गृह रक्षा बजट मद

बजट मद– 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 – होमगार्ड (02) सीमा गृह रक्षा

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	265.00	795.00	1060.00	182.97	535.47	718.44
03– यात्रा व्यय	3.00	9.00	12.00	1.32	3.95	5.27
04– चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05– कार्यालय व्यय	2.50	7.50	10.00	1.54	4.63	6.17
06– वाहनों का क्रय	45.00	135.00	180.00	0.00	0.00	0.00
08–वृतिक और विशिष्ट सेवायें	0.50	0.00	0.50	0.05	0.00	0.05
09– रेंट और कर/रॉयल्टी	0.15	0.00	0.15	0.08	0.00	0.08
11– विज्ञापन/विक्रय और प्रचार और प्रसार व्यय	0.05	0.15	0.20	0.01	0.03	0.04
18– मशीनरी और साज – सामान औजार एवं संयंत्र	50.00	150.00	200.00	46.14	138.43	184.57
19– विद्युत व्यय एवं जल प्रभार	2.51	7.51	10.02	1.01	2.98	3.99
20– वाहन संधारण	10.00	30.00	40.00	4.02	12.06	16.08
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	187.50	562.50	750.00	99.30	299.51	398.81
32– डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37– वर्दीया तथा अन्य सुविधाएँ	0.58	1.72	2.30	0.48	1.45	1.93
42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	318.00	0.00	318.00	243.30	0.00	243.30
2070–00–107–02–00 योग	**884.81**	**1698.38**	**2583.19**	**580.22**	**998.51**	**1578.73**

4.3 पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– होमगार्ड (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(01) – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06 – वाहनो का क्रय	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
18 – मशीनरी और साज सामान औजार एवं संयंत्र	87.60	131.40	219.00	0.00	0.00	0.00
2070–00–107–03–01 योगः–	**87.61**	**131.41**	**219.02**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

4.4 पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 होमगार्ड – (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(02) – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18– मशीनरी और साज सामान औजार एवं संयंत्र	38.00	57.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070–00–107–03–02 योग:–	**38.01**	**57.00**	**95.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.5 वृहद् निर्माण कार्य

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

बजट मद 4059–80–051–05–02

(02) गृह रक्षा विभाग

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17–वृहद् निर्माण कार्य	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
योग:–	**513.00**	**0.0**	**513.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.6 अनुरक्षण एवं मरम्मत

2059 लोक निर्माण कार्य

बजट मद – 2059–80–053–41–01

(01) गृह रक्षा विभाग के भवनों की मरम्मत

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24			31.12.2023 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेंटेनेंस)	60.90	0.00	60.90	32.20	0.00	32.20
योग:–	**60.90**	**0.00**	**60.90**	**32.20**	**0.00**	**32.20**

<u>भाग – 5</u>

<u>**आलौच्य वर्ष 2023–24 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है**</u> :–

1. गृह रक्षा विभाग द्वारा 3842 स्वयं सेवकों का नामांकन प्रक्रियाधीन है।
2. विधान सभा आम चुनाव 2023 में कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु 20,000 स्वयं सेवकों (18,000 शहरी गृह रक्षा + 2000 सीमा गृह रक्षा) का नियोजन किया गया।
3. पुलिस विभाग की मांग अनुसार कानून–व्यवस्था एवं मेले एवं पर्वों के दौरान ड्यूटी हेतु लगभग 3,83,480/– मानव दिवसों हेतु स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया।
4. कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव–2023 के दौरान कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य से सीमा गृह रक्षा दल की 05 कंपनियों का नियोजन किया गया।
5. गृह रक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 8557 स्वयं सेवकों को पुनः प्रशिक्षण तथा 4608 स्वयं सेवकों को अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया है।
6. इस विभाग के ग्रामीण उप केन्द्रों को शहरी गृह रक्षा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुदृढीकरण कर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
7. चालू वर्ष के दौरान राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 26.08.2022 से प्रभावी है।
8. राज्य में अवैध रूप से कार्यरत एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005, एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना नहीं करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट 'अ'

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

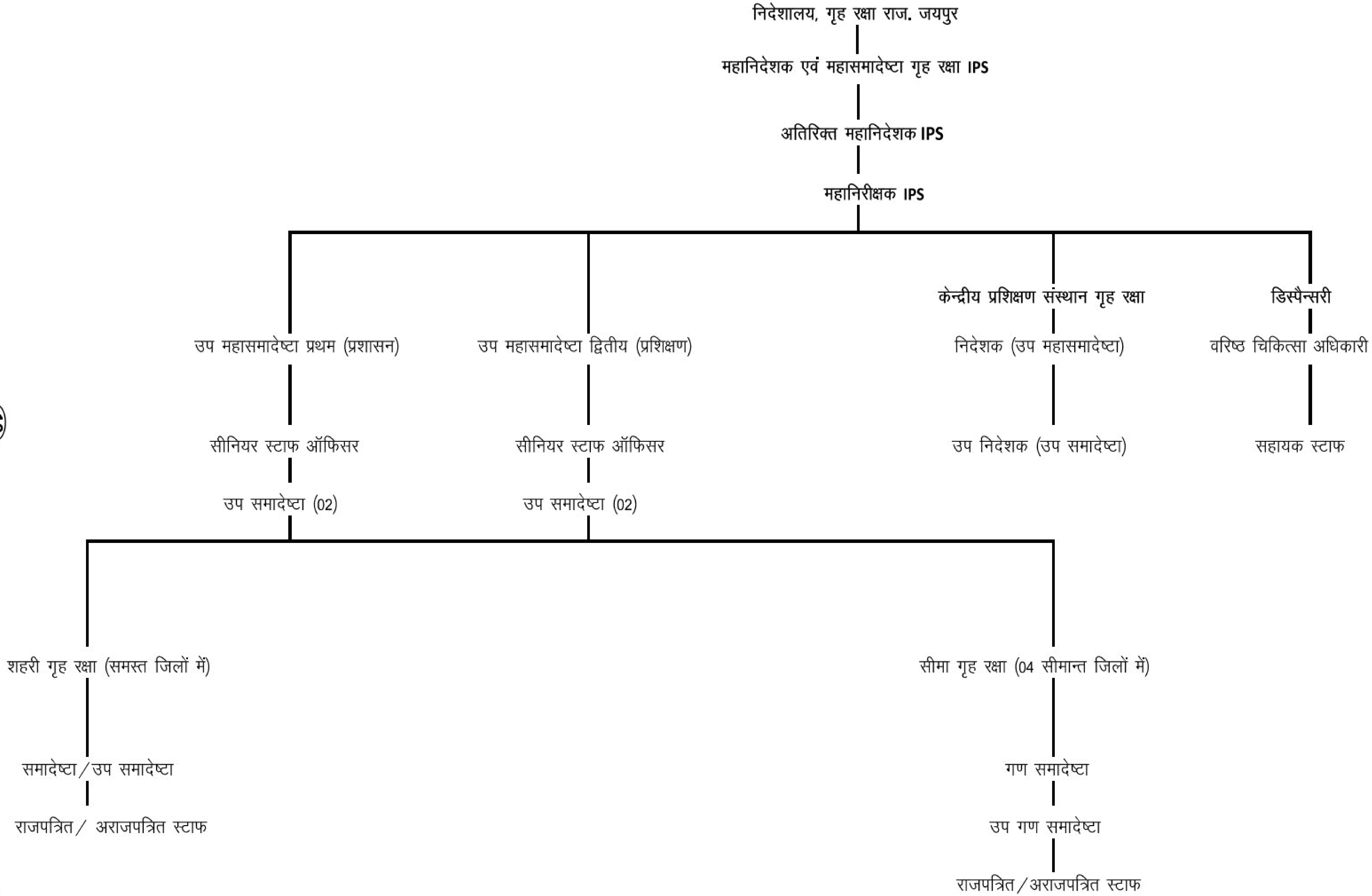

परिशिष्ट 'ब'

शहरी होमगार्ड्स की स्वीकृत/ऑनरोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2023 की स्थिति)											
क्र.सं.	जिले का नाम	अधिकृत नफरी			मौजुदा नफरी			रिक्तियां			कुल नियोजन
		पुरूष	महिला	कुल योग	पुरूष	महिला	कुल योग	पुरूष	महिला	कुल योग	
1	अजमेर	1660	60	1720	1441	53	1494	219	7	226	680
2	अलवर	1310	80	1390	1001	56	1057	309	24	333	646
3	बासंवाड़ा	330	35	365	277	31	308	53	4	57	275
4	बारां	530	20	550	468	2	470	62	18	80	437
5	बाड़मेर	455	20	475	416	3	419	39	17	56	306
6	भरतपुर	995	35	1030	819	29	848	176	6	182	353
7	भीलवाड़ा	770	35	805	693	32	725	77	3	80	507
8	बीकानेर	1025	35	1060	920	29	949	105	6	111	493
9	बून्दी	520	30	550	465	22	487	55	8	63	419
10	चित्तौडगड़	860	20	880	752	2	754	108	18	126	602
11	चुरू	530	20	550	466	12	478	64	8	72	289
12	दौसा	490	20	510	413	3	416	77	17	94	289
13	धौलपुर	420	20	440	379	1	380	41	19	60	210
14	डूंगरपुर	335	30	365	279	30	309	56	0	56	193
15	श्रीगंगानगर	690	40	730	610	34	644	80	6	86	347
16	हनुमानगढ़	440	35	475	400	32	432	40	3	43	232
17	जयपुर	3275	220	3495	2978	208	3186	297	12	309	3014
18	जैसलमेर	420	20	440	367	1	368	53	19	72	268
19	जालौर	270	20	290	243	1	244	27	19	46	213
20	झालावाड़	475	35	510	381	31	412	94	4	98	261
21	झुन्झुनूँ	305	25	330	284	25	309	21	0	21	151
22	जोधपुर	2270	110	2380	2015	110	2125	255	0	255	1032
23	करौली	420	20	440	374	1	375	46	19	65	272
24	कोटा	1945	70	2015	1761	49	1810	184	21	205	971
25	नागौर	735	35	770	600	23	623	135	12	147	274
26	पाली	805	35	840	660	33	693	145	2	147	240
27	प्रतापगढ	310	20	330	283	0	283	27	20	47	228
28	राजसमंद	550	70	620	475	70	545	75	0	75	315
29	सवाई माधोपुर	600	20	620	573	3	576	27	17	44	426
30	सीकर	625	35	660	546	29	575	79	6	85	292
31	सिरोही	345	20	365	247	0	247	98	20	118	216
32	टोंक	710	20	730	571	17	588	139	3	142	367
33	उदयपुर	1210	110	1320	878	86	964	332	24	356	910
कुल योग		26630	1420	28050	23035	1058	24093	3595	362	3957	15728

सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों की नफरी के संबंध में विवरण

सीमा गृह रक्षा दल			(दिनांक 31.12.2023 की स्थिति)		
क्र.सं	गण का नाम	स्वीकृत नफरी	ऑन रोल नफरी	रिक्त पद	कुल नियोजन
1.	बाडमेर	666	589	77	380
2.	जैसलमेर	666	574	92	431
3.	बीकानेर	666	584	82	485
4.	श्री गंगानगर	666	592	74	391
कुल योग		**2664**	**2339**	**325**	**1687**